न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 84/2022

अपीलार्थीगण– **बनाम** **उत्तरदातागण–**

1. खेताराम पुत्र तेजाराम,
2. खेराजराम पुत्र तेजाराम, जातियान मेघवाल, निवासीयान दानोंणी मेघवालों की ढ़ाणी, (नगोंणी धतरवालों की ढ़ाणी) तहसील बायतु जिला बालोतरा।

बनाम

1. आसूराम पुत्र तेजाराम
2. वालाराम पुत्र तेजाराम
3. चूनाराम पुत्र पांचाराम
4. मोहनलाल पुत्र पांचाराम
5. हरखाराम पुत्र पांचाराम
6. गणपतराम पुत्र पांचाराम
7. गोमी पुत्री पांचाराम
8. शान्ति पुत्री पांचाराम
9. भंवरी पत्नी पांचाराम
10. पोकरराम पुत्र मंगलाराम
11. नेनाराम पुत्र किशनाराम
12. सिरदाराराम पुत्र मंगलाराम जातियान मेघवाल, निवासीयान दानोंणी मेघवालों की ढ़ाणी (नगोंणी धतरवालों की ढ़ाणी) तहसील बायतु जिला बलोतरा
13. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. बैंक, शाखा बायतु जिला बालोतरा।
14. शाखा प्रबंधक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा बायतु जिला बालोतरा।
15. तहसीलदार बायतु।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक– भू.अ./2021/877 दिनांक 16.12.2021 तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रिणछा राम सियाग, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदातागण संख्या 01 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(मोहर: न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.))

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

आदेश

दिनांकः— 27.08.2024

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता उपस्थित। उतरदाता संख्या 01 से 12 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण है कि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 12 हिन्दू विधि से शासित है जिनकी पैतृक खातेदारी मौजा दानोंणी मेघवालो की ढ़ाणी पटवार हल्का नगोंणी धतरवालों की ढ़ाणी के खेत खसरा संख्या 1236, 1237 रकबा क्रमशः 0.0971 हैक्टेयर, 12.1997 हैक्टेयर कुल रकबा 12.2968 हैक्टेयर एवं मौजा काकड़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का नगोंणी धतरवालों की ढ़ाणी के खेत खसरा संख्या 559/513, 561/513 रकबा क्रमशः 11.0833 हैक्टेयर, 04.4010 हैक्टेयर कुल रकबा 15.4843 हैक्टेयर में आई हुई है। उतरदातागण ने अपीलांटगण को जानकारी दिये बिना ही हल्का पटवारी से मौके की स्थिति के विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उस पर अपीलांटगण के अंगुष्ठ निशान करवाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा आदेश तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक – भू.अ. /2021/877 दिनांक 16.12.2021 को पारित करवा दिया गया।
2. इस न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विवादित भूमि का मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु तहसीलदार बायतु को मिसल चिटठ़ी लिखी गई। जिस पर मूल अभिलेख को प्राप्त कर पत्रावली में शामिल किया गया। उतरदातागण की तलबी हेतु जारी नोटिस की तामिली पूर्ण होने के बावजूद भी उतरदातागण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे उतरदातागण को जरिये कॉज लिस्ट लगातार सूचित किया गया। बावजूद सूचना भी उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलांटगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई अधिवक्ता अपीलांटगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शों में पक्षकारान के अंगुष्ठ निशान करवाकर अपीलांटगण की जानकारी के बिना गलत रूप से विभाजन का नक्शा दर्शाया गया। जो स्पष्ट रूप से गलत है और जिसके आधार पर बिना मौका देखे तरमीम कायम की गई और संबंधित पटवारी हल्का द्वारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

बिना मौका देखे व खातेदारों का पक्ष व कब्जे की स्थिति की जानकारी को ध्यान में रखे बिना ही शिविर में बंटवारा आदेश करवाकर नामान्तरकरण पारित करवा दिया। जो कि प्रारम्भ से शून्य व अपीलांटगण के हितों के विरूद्ध है। जो निरस्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटगण ने दौरान बहस यह भी अवगत कराया कि उतरदातागण संख्या 01 से 04 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करते हुए मौजा माहिंगाणी मूढ़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा संख्या 407 रकबा 01.04 बीघा (0.2023 हैक्टेयर) के इस छोटे जोत के टुकड़े को जो सड़क पर स्थित है वह किमती है जिस पर अकेले अपीलांटगण का कब्जा काश्त है को संयुक्त खातेदारी में रखवाकर स्वयं ने खसरा संख्या 506 की संड़क किनारे हिस्से की बेशकिमती भूमि अपने अकेले के नाम तरमीम में दर्शा दिया अपीलांटगण के सड़क तक व खसरा संख्या 407 तक जाने का रास्ता भी नहीं रखा। उक्त बंटवाड़ा आदेश पक्षकारों के कब्जे को ध्यान में नहीं रखते हुए तहसीलदार बायतु द्वारा किया गया। मौके पर पक्षकारान के कब्जा–काश्त के विपरीत यह आदेश पारित किया गया है। जिसके कारण अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति हुई है। अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से किये गए बंटवाड़े में अपीलांटगण को धोखे में रखते हुए अगुष्ठ निशान करावाये गये हैं तथा अपीलांटगण की बिना जानकारी के गलत रूप से विभाजन हेतु तरमीम का नक्शा दर्शाया गया है। जिसके बारे में अपीलांटगण को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उक्त विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया था। अतः तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश क्रमांक – भू.अ. /2021/877 दिनांक 16.12.2021 को अपास्त कर पत्रावली को पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने के लिए तहसीलदार बायतु को प्रेषित की जावे।

3. उतरदातागण संख्या 01 से 12 जो बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे है एवं उतरदातागण संख्या 13 से 15 फॉरमल पक्षकार होने से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं।

कार्यालय आपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

4. हमनें अधिवक्ता अपीलांटगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण रजिस्टर मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं मूल बंटवाड़ा आदेश को ध्यान में रखते हुए तथा पत्रावली के गहन अध्ययन उपरांत पाया कि मौजा दानोंणी मेघवालो की ढ़ाणी पटवार हल्का नगोंणी धतरवालों की ढ़ाणी के खेत खसरा संख्या 1236, 1237 एवं मौजा काकड़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का नगोंणी धतरवालों की ढ़ाणी के खेत खसरा संख्या 559/513, 561/513 का बंटवाड़ा आदेश दिनांक 16.12.2021 को पारित किया गया था जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में बंटवाड़ा आदेश को अमलदरामद किया गया था। चूंकि अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार बंटवाड़ा चाहता है। ऐसी सूरत में अपीलांटगण की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक – भू.अ./2021/877 तहसीलदार बायतु दिनांक 16.12.2021 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बायतु को प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अुनसार एवं हिस्सा अनुसार सभी पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का विभाजन आदेश एवं नक्शे में अंकित करते हुए पुनः विधिवत नये सिरे से आपसी सहमति बंटवाड़ा आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **27.08.2024** को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और दर्ज नम्बर से कम हो।

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)